भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †1852

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना

†1852.श्री विष्णु दयाल रामः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री जुगल किशोरः
श्री मनीष जायसवालः
श्री चंदन चौहानः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के अंतर्गत ई-अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरियों और अन्य प्रकार के स्क्रैप के संबंध में अद्यतन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश में विशेषकर छिन्दवाड़ा जिले में स्थापित या प्रस्तावित पुनर्चक्रण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के बाद देश के महत्वपूर्ण खनिज भंडारों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में भारत की आयात निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला की सुभेद्यता को कम करने में उक्त योजना की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ई-अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी और अन्य प्रकार के स्क्रैप के निपटान के लिए कोई नई योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कंपनियों और स्टार्ट-अप्स की संख्या सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(च) कर्नाटक और बेंगलुरू में बैटरी पुनर्चक्रण सुविधाओं और क्षमताओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2025-26 में राज्य-वार नीलाम किए गए, सफलतापूर्वक आवंटित किए गए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की संख्या कितनी है और खनन शुरू करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के अंतर्गत, सरकार ने ई-कचरे, खराब लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य स्क्रैप की पुनर्चक्रण क्षमता के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है। स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए और योजना 02.10.2025 को शुरू की गई। इस स्कीम में मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित देश में कहीं भी पुनर्चक्रण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

यह स्कीम महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो मध्य प्रदेश सहित देश की आयात निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता को कम करती है।

उपर्युक्त स्कीम में पुनर्चक्रणकर्ताओं को क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, जो कचरे और स्क्रैप के निपटान को प्रोत्साहित करता है। इस तरह का निपटान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे के तहत विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के दायरे में आता है।

(छ): वित्त वर्ष 2025-26 में, केंद्र सरकार ने नौ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश (1), अरुणाचल प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (4), कर्नाटक (3), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (2), ओडिशा (4), राजस्थान (5) और उत्तर प्रदेश (1) में 22 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों में खनन की शुरुआत समेकित अनुज्ञप्ति/खनन पट्टे के निष्पादन के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार होती है।

*****